हरिभूमि
रायपुर मुख्य संस्करण - Page 2
15 July 2025

सितंबर 2025 तक प्रक्रिया पूरी करेंगे : केंद्र

एक भी साइबर एक्सपर्ट नहीं, हाईकोर्ट ने केन्द्र से पूछा-कब तक होगी नियुक्ति

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बिलासपुर

प्रदेश में साइबर अपराध के प्रकरणों के लिए अहम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए विशेषज्ञ नहीं होने को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस विभू दत्त गुरु की डिविजन बैंच ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि आखिर कब तक होगी नियुक्ति..? इस पर केंद्र की ओर पेश अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा ने कहा कि एक के बाद एक तीन चरणों को पूरा कर ही सायबर विशेषज्ञ की नियुक्ति की जा सकती है। पहले चरण में फॉरेंसिक लैब की स्थापना है। इसके बाद अन्य दो चरणों के पूरे होने बाद नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। इस प्रक्रिया में सितंबर 2025 तक का समय लगेगा। इस पर चीफ जस्टिस ने केंद्र से कहा कि, समाज की भलाई के लिए आपने एक संस्था बनाई है और आप उसका हेड बना रहे हैं, अगर उसकी नियुक्ति में इतनी जटिलताएं होंगी तो पूरा मामला ऐसा ही होगा। दरअसल शिरीन मालेवर ने अधिवक्ता रुद्र प्रताप दुबे और गौतम खेत्रपाल के माध्यम से जनहित याचिका दायर की है। पहले हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि देश भर में 16 जगह पर एक्सपर्ट की नियुक्ति की गई है। यह नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है फिलहाल छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसी एक्सपर्ट की नियुक्ति नहीं हुई है।

तालाब में 4 बच्चे डूब गए, हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा

हाइकोर्ट ने जांजगीर-चांपा जिले में तालाब में नहाने गए भाई-बहन समेत 4 बच्चों की डूबने से हुई मौत के मामले को लिया संज्ञान, मुख्य सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर मांगा जवाब मांगा है। ध्यान रहे कि जांजगीर-चांपा जिले में बीते शनिवार को स्कूल से लौटते वक्त तालाब में नहाने गए भाई बहन समेत 4 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। घटना बलोदा थाना क्षेत्र के भैंसतरा गांव की थी। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और विभु दत्त गुरु को डबल बेंच में जनहित याचिका के रूप में सोमवार सुनवाई हुई। जिसमें मुख्य न्यायाधीश ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कितनी गलत बात है..? कि स्कूल से लौटते वक्त 4 बच्चे पानी में डूब जाते हैं। यह सरकार की भी जिम्मेदारी है। वही कांकेर में प्रकाशित एक अन्य खबर को भी संज्ञान लिया है जिसमें स्कूली बच्चों को जान जोखिम में डालते हुए नाला पार कर स्कूल जाने की मजबूरी नजर आई। इन दोनों खबरों के मीडिया में प्रकाशित किए जाने पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। वही इस मामले में राज्य शासन की तरफ से मुख्य सचिव को व्यक्तिगत शपथ पत्र में जवाब देने का आदेश दिया है। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई रखी गई है।

एडवोकेट नहीं पहुंची, प्राचार्य पदोन्नति पर मामला अब 16 को

छत्तीसगढ़ में प्राचार्य पदोन्नति को लेकर होने वाली सुनवाई सोमवार को टल गई। याचिकाकर्ता की अधिवक्ता नियत समय पर उपस्थित नहीं हो सकीं, जिससे मामला 16 जुलाई तक के लिए टल गया। यह याचिका न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की कोर्ट में लिस्टेड थी और सूची में 90 वें क्रम पर थी, जहां तक पहुंचना मुश्किल माना जा रहा था। ऐसे में राज्य की ओर से एडवोकेट यशवंत ठाकुर ने मेंशन कर शीघ्र सुनवाई की मांग की, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अपराह्न 4 बजे का समय नियत किया। याचिकाकर्ता की वकील नहीं पहुंची तो एजी ने उन्हें कॉल कर उपस्थित होने कहा। उपस्थिति के बाद जब अधिवक्ता ने सुनवाई की इच्छा जताई, तब न्यायमूर्ति अग्रवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब यह मामला 16 जुलाई को सुना जाएगा।